संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/141/10/2026 दिनांक: 30 अक्टूबर, 2026
Ref.No.: IRDAI/HLT/CIR/MISC/141/10/2026 Date: 30th October, 2026

प्रति/To,

सभी बीमाकर्ता- पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर
All Insurers excluding Reinsurers, FRBs, AIC and ECGC

विषयः स्वास्थ्य विनियामक विवरणियों और स्वास्थ्य उत्पाद यूआईएन उत्पादन का समन्वित व्यवसाय वैश्लेषिकी प्लेटफार्म (बीएपी) में अंतरण
Subject: Migration of Health Regulatory Returns and Health Product UIN Generation to the Integrated Business Analytics Platform (BAP)

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने विनियामक रिपोर्टिंग और स्वास्थ्य उत्पाद संबंधी कार्यात्मकताओं के लिए एक समन्वित, सरल और कारगर बनाये गये तथा संवर्धित प्लेटफार्म को सुसाध्य बनाने के लिए अपने व्यवसाय वैश्लेषिकी प्लेटफार्म (बीएपी) का कोटि-उन्नयन प्रारंभ किया है।

2. इस पहल के भाग के रूप में, स्वास्थ्य विनियामक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण, नये स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की विशिष्ट पहचान संख्याओं (यूआईएनएस) के उत्पादन तथा वर्तमान स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में आशोधन को बीएपी के स्वास्थ्य माड्यूल में सम्मिलित किया गया है।

3. तदनुसार, स्वास्थ्य विनियामक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण एवं स्वास्थ्य उत्पाद यूआईएन उत्पादन से संबंधित कार्यात्मकताएँ अब बीएपी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य विनियामक विवरणियों का माड्यूल

4. सभी संबंधित बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित स्वास्थ्य विनियामक विवरणियाँ बीएपी के स्वास्थ्य माड्यूल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

 (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य विनियामक विवरणियाँ।
 (ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वास्थ्य विनियामक विवरणियाँ।
 (ग) स्वास्थ्य विनियामक विवरणी – आरईटी 197 – वित्तीय वर्ष 2026-27 की तिमाही1 और तिमाही2 के लिए (जीवन बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
 (घ) निर्धारित आवृत्ति के अनुसार, अनुवर्ती रिपोर्टिंग अवधियों के लिए स्वास्थ्य विनियामक विवरणियाँ।

स्वास्थ्य उत्पाद माड्यूल

5. सभी संबंधित बीमाकर्ता 02 नवंबर 2026 से, नये स्वास्थ्य बीमा उत्पादों और वर्तमान स्वास्थ्य बीमा उत्पादों में आशोधनों के लिए यूआईएन उत्पन्न करेंगे तथा स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के प्रत्याहरणों से संबंधित अद्यतन जानकारी (अपडेट्स) एकमात्र तौर पर बीएपी पोर्टल के स्वास्थ्य उत्पाद माड्यूल के माध्यम से ही प्रस्तुत करेंगे।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए यूआईएनएस के उत्पादन के संबंध में दिनांक 10 जून 2024 के ई-मेल संदेश का लागू होना समाप्त होगा।

7. स्वास्थ्य विनियामक विवरणियों के माड्यूल और स्वास्थ्य उत्पाद माड्यूल की विभिन्न कार्यात्मकताओं से संबंधित परिचालनगत दिशानिर्देश और विस्तृत अनुदेश सभी संबंधित उपयोगकर्ताओं के द्वारा संदर्भ और अनुपालन के लिए उक्त बीएपी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

1. The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has undertaken the upgradation of its Business Analytics Platform (BAP) to facilitate an integrated, streamlined and enhanced platform for regulatory reporting and Health product related functionalities.

2. As part of this initiative, functionalities related to the submission of Health Regulatory Returns, generation of Unique Identification Numbers (UINs) for new Health Insurance Products and modification to existing Health Insurance Products have been incorporated into the Health module of BAP.

3. Accordingly, the functionalities relating the submission of Health Regulatory Returns and Health Product UIN generation are now available through the BAP portal.

Health Regulatory Returns module

4. All concerned insurers are required to submit the following Health Regulatory Returns through the Health module of BAP:

 (a) Health Regulatory Returns for FY 2024–25.
 (b) Health Regulatory Returns for FY 2025–26.

(c) Health Regulatory Return – RET 197 for Q1 and Q2 of FY 2026-27 (except life insurers)
(d) Health Regulatory Returns for subsequent reporting periods, in accordance with the prescribed frequency.

Health Product module

5. All concerned insurers shall, with effect from 02nd November 2026, generate UINs for new Health Insurance Products and modifications to existing Health Insurance Products, and submit updates relating to the withdrawal of Health Insurance Products, exclusively through the Health Product Module of the BAP portal.

6. In view of the above, the Health Department's email communication dated 10th June 2024 regarding the generation of UINs for Health Insurance Products shall cease to be applicable.

7. The operational guidelines and detailed instructions relating to the various functionalities of the Health Regulatory Returns Module and Health Product Module are available on the BAP portal for reference and compliance by all concerned users.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / CGM (Health)